राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक : एफ 25(17)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 जयपुर, दिनांक 21/04/25

रजिस्ट्रार,
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,
जयपुर।

विषयः– निजी क्षेत्र में नर्सिंग पाठ्यक्रम की एन.ओ.सी. हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने बाबत्।
संदर्भः– इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.12.2024, 24.02.2025 एवं 26.03.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में नर्सिंग पाठ्यक्रम की एन.ओ.सी. बाबत् विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना है। विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर लेख है कि विज्ञप्ति को DIPR के माध्यम से दिनांक 23.04.2025 को राजस्थान के 02 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करावें। विज्ञप्ति प्रकाशन का खर्च पूर्व की भांति राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा वहन किया जावेगा।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

कमरा नं. 4203, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, सी–स्कीम, जयपुर–302005

E-mail: jsmedicaldepartmentgroup3@gmail.com

Website: rajswasthya.nic.in

क्रमांक : प. 25(17)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 जयपुर, दिनांक

विज्ञप्ति

विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जारी करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु निजी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थानों द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम (जीएनएम एव बीएससी नर्सिंग) संचालित करने हेतु ट्रस्ट/सोसायटी/ कम्पनी से राज एनओसी पोर्टल (Rajnoc.rajasthan.gov.in) पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.12.2024 में ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि को दिनांक 30.04.2025 तक तथा पोर्टल पर ऑनलाईन किये गये आवेदन/दस्तावेजों की हार्डकॉपी को पोर्टल पर उपलब्ध चैकलिस्ट अनुसार विभाग में स्पीड़ पोस्ट से जमा करवाने की अन्तिम तिथि को दिनांक 30.05.2025 तक बढाया गया है।

संस्थाओं द्वारा एनओसी हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने पश्चात विज्ञप्ति के साथ जारी सामान्य दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 03 अनुसार निर्धारित चैकलिस्ट में आवेदन संबंधि दस्तावेजों की हार्डकॉपी विभाग को प्रेषित नहीं की जा रही है। दस्तावेजों के अभाव में प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

पोर्टल पर एनओसी हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाली संस्थाओं को पुनः सुचित किया जाता है कि विज्ञप्ति में वर्णितानुसार ऑनलाईन किये गये आवेदन संबंधि दस्तावेजों की हार्डकॉपी निर्धारित चैकलिस्ट अनुसार दिनांक 30.05.2025 से पूर्व स्पीड पोस्ट के माध्यम से विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव